U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % yfyr dqekj xqIrk] vkbZ-,-,l

jktLo f}rh; vihy la[;k % 350@2017

vihykUVl	बनाम	**jLiksMsUVl**
अदराराम पुत्र हरजी, उम्र 54 वर्ष जाति मेघवाल, निवासी दासपा,तहसील भीनमाल, जिला जालोर।		1. श्रीमती पवनीदेवी पुत्री भगाराम उम्र 28 वर्ष जाति कलबी, निवासी नवापुरा चौपावतनान, तहसील भीनमाल, जिला जालोर। 2. ग्राम पंचायत दासपा, पं.सं. भीनमाल जरिए, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत दासपा, तहसील, भीनमाल, जिला जालोर। 3. श्रीमती सुकी देवी बेवा सुमेरमल। 4. कैलाश कुमार पुत्र सुमेरमल। 5. अशोक कुमार पुत्र सुमेरमल। 6. महेन्द्र कुमार पुत्र सुमेरमल। 7. कान्तादेवी पुत्री सुमेरमल। 8. मंजूदेवी पुत्री सुमेरमल। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 सभी जाति महालन निवासी नवापुरा चौपावतान, तहसील, भीनमाल, जिला जालोर 9. बादली पत्नी लालाराम कौम कलबी, निवासी नवापुरा चौपावतान तहसील भीनमाल, जिला जालोर।

vihy vUrxZr /kkjk 76 jkt0 Hkw jktLo vf/kfu;e 1956 fo:)

vkns'k दिनांक 28.2.2011 जो राजस्व अपील संख्या 15/2009 अनवान पवनी देवी बनाम रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत दासपा व 7 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा पारित किया गया।

mifLFkfr:–

1. श्री एस.डी राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

fu.kZ;

दिनांकः– 6.11.2018

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 434 ग्राम नवापुरा चौपावतान, तहसील भीनमाल, जिला जालोर के विरूद्ध प्रथम अपील अपील उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल के विरूद्ध प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 5.2.2009 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भीनमाल को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिया कि बेचान दस्तावेज के

आधार पर विधिवत रूप से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। उक्त आदेश से व्यथित हो कर अपीलान्ट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

दोराने सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित तथा बार–बार आवाज लगाने के बावजूद रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता अनुपस्थित है तथा ना ही रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित हुआ। अतः उपस्थित अपीलान्ट के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 392, रकबा 2.47 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम जो राजस्व ग्राम नवापुरा चौपावतनान, तहसील भीनमाल मे स्थित है, पर अपीलान्ट का 28 वर्षो से कब्जा एवं काश्त होने से तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 ने कभी भी किसी भी क्षण आराजी मे कभी कब्जा एवं काश्त नही रहा है और ना ही अपीलान्ट को प्रतिकूल कब्जे से बेदखल किया गया है। रेस्पोडेन्टस ने उक्त आराजी का टाईटल खरीद कर अपीलाधीन आदेश की आड मे अपीलान्ट को जबरन बेदखल किए जाने की कार्यवाही की जा रही है, जो विधि के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

यह है कि विवादित नामान्तरकरण भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से भरा जाता है तथा उसकी प्रथम अपील निदेशक भू अभिलेख को होनी चाहिए, फिर भी उपखण्ड अधिकारी जिन्हे इस प्रकार की अपील को सुनने की अधिकार शक्ति निहित ही नही होने के बावजूद भी अपील सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाना एवं उस पर आदेश पारित करना विधि के मान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

यह है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य विभिन्न अदालतो मे मुकदमे विचाराधीन होते हुए तथा नामान्तरकरण संख्या 434 मे भी अपीलान्ट द्वारा ऐतराज करने के कारण ही ग्राम पंचायत ने एक कमेटी कठित कर नामान्तरकरण संख्या 434 अस्वीकृत किया गया था, इस प्रकार अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्षकार बनाने के प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होने कोई दस्तावेज पेश नही किया है, जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि पक्षकार बने बिना अपना पक्ष न्यायालय के सम्मुख रखा जाना संभव ही नही है, यदि पक्षकार बनाया होता तो वह अपने पक्ष मे साक्ष्य, सबूत भी प्रस्तुत कर देता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का अनदेखा कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

यह है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित भूमि जरिए बेचाननामे खरीद की गयी है, परन्तु उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। बिना किसी कब्जे के भूमि बैचान की गयी है। बैचान तभी प्रभावी माना जावेगा जब बैचान की गयी भूमि का कब्जा खरीददार को भौतिक रूप से दे दिया गया हो। विवादित भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट को नही दिया गया। अपीलान्ट द्वारा इस संबंध मे एतराज करने पर ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से कमेटी गठित कर अपीलान्ट का कब्जा पाये जाने पर नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया, जो सही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों का मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

हमने उपस्थित अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता का प्रथम तर्क यह है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 392, रकबा 2.47 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम जो राजस्व ग्राम नवापुरा चौपावतनान, तहसील भीनमाल मे स्थित है, पर अपीलान्ट का 28 वर्षो से कब्जा एवं काश्त होने से उक्त आराजी पर अपीलान्ट का हक है। इस संबंध मे अपीलान्ट नियमित वाद द्वारा अनुतोष प्राप्त कर सकता है। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है, जिसमे अधिकारों का निस्तारण नही किया जा सकता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता का द्वितीय तर्क यह है कि यह है कि विवादित नामान्तरकरण भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से भरा जाता है तथा उसकी प्रथम अपील निदेशक भू अभिलेख को होनी चाहिए, फिर भी उपखण्ड अधिकारी, जिन्हे इस प्रकार की अपील को सुनने की अधिकार शक्ति निहित ही नही होने के बावजूद भी अपील सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाना एवं उस पर आदेश पारित करना विधि के मान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलान्ट का उक्त कथन मान्य नही है क्योंकि जब एलआरए की धारा 135(2) मे जब कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसकी प्रथम अपील निदेशक भू अभिलेख को की जाती है। ग्राम पंचायत को अधिसूचना दिनांक 4.9.1982 यथा संशोधन 9.11.1983 द्वारा ग्राम पंचायत को 135(1) मे आदेश पारित करने का ही अधिकार है, जिसकी अपील उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी को की जाती है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा पारित किया गया आदेश विधि सम्मत है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता का तृतीय तर्क यह है कि अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने के बावजूद भी, उन्हे पक्षकार नही बनाया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम (10) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दियां। इस संबंध मे अपीलान्ट को उक्त निरस्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे निगरानी करनी चाहिए थी। अपीलान्ट ने धारा 96 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अपीलान्ट का कोई विधिक अधिकार नहीं बनता है। अतः उन्हें अपील लाने का कोई अधिकार नहीं है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता का चतुर्थ तर्क यह है कि यह है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित भूमि जरिए बेचाननामे खरीद की गयी है, परन्तु उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। बिना किसी कब्जे के भूमि बेचान की गयी है। बैचान तभी प्रभावी माना जावेगा जब बेचान की गयी भूमि का कब्जा खरीददार को भौतिक रूप से दे दिया गया हो। विवादित भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट को नही दिया गया। इस संबंध मे बेचानकर्ता द्वारा बेचान दस्तावेज मे यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि उन्होने अपना सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट को बेचान कर दिया है तथा भौतिक रूप से कब्जा भी सुपुर्द कर दिया है तो यह माना जायेगा कि खरीददार को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तथा उसी का कब्जा है। इसके लिये जॉच करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 6.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ yfyr dekj xqIrk ½
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर